न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2020/00127

नजीरदीन पुत्र मामदीन जाति कुम्हार मुसलमान साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।

—अपीलांट

बनाम

1. मुस्ताक पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार साकिन गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। (राज0)
2. चीरागदीन पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार साकिन गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। (राज0)
3. सादक मोहम्मद पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार साकिन गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। (राज0)
4. लालचन्द पुत्र कुम्भाराम जाति ब्रिाहम्ण साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. बृजलाल पुत्र कुम्भाराम जाति ब्रिाहम्ण साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. रफी मोहम्मद पुत्र गनी मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. नेक मोहम्मद पुत्र. गनी मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. खुशी मोहम्मद पुत्र सुभान खॉ जाति मुसलमान कुम्हार साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. गफूर पुत्र सुभान खॉ जाति मुसलमान कुम्हार साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. रमजान पुत्र सुभान खां जाति मुसलमान कुम्हार साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. दीन मोहम्मद पुत्र सुभान खां जाति मुसलमान कुम्हार साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. शरीफ खां पुत्र सुभान खां जाति कुम्हार मुसलमान साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
13. यासीन खां पुत्र सुभान खां जाति कुम्हार मुसलमान साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
14. साबु खां पुत्र सुभान खां जाति कुम्हार मुसलमान साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

15. गुलजारा पुत्री सुभान खां जाति कुम्हार मुसलमान साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
16. साबरा पुत्री सुभान खां जाति कुम्हार मुसलमान साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
17. जैतुना पुत्र सुभान खां (फौत)
 17 / 1 असलम पुत्र जैतुना
 17 / 2 महबूब पुत्र जैतुना
 17 / 3 नजमा पुत्री जैतुना
 17 / 4 सलमा पुत्री जैतुना
 17 / 5 जैबुनापुत्री जैतुना
 } पत्नी अबलीसेन जाति मुसलमान कुम्हार साकिन कागदाना तहसील नाथूसरी चोपटा जिला सिरसा (हरियाणा)
18. गुलजारा पत्नी
19. समूना पुत्री
20. मदीना पुत्री
21. शकीना पुत्री
22. रूस्तम पुत्र
23. फारूक पुत्र
 } हनीफ खां जाति कुम्हार मुसलमान साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
24. ज्याना देवी पत्नी मनीराम जाति जाट साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
25. जयपाल पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन ननाउ (फौत)
 25 / 1 राजबाला पत्नी जाति जाट साकिन नानउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ(राज0)
 25 / 2 अनिल पुत्र जयपाल नाबालिग जरिये माता राजबाला पत्नी जयपाल जाति जाट साकिन नानउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज0)
 25 / 3 मनीता पुत्री जयपाल नाबालिग जरिये माता राजबाला पत्नी जयपाल जाति जाट साकिन नानउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज0)
 25 / 4 सुनीता पुत्री जयपाल नाबालिग जरिये माता राजबाला पत्नी जयपाल जाति जाट साकिन नानउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज0)
26. कालूराम पुत्र मनीराम
27. मायादेवी पुत्री मनीराम पत्नी धर्मपाल जाति जाट साकिन मिठनपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिसरसास (हरियाणा)
28. मु0 धापादेवी पुत्री मनीराम पत्नी शंकरलाल जाति जाट साकिन मिठनपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
29. देवीलाल पुत्र हरदयाल जाति जाट साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज0)
30. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोंडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 16:34:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2008, प्र. सं. 169/2007
अनवान मुस्ताक आदि बनाम लालचंद आदि
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

उपस्थितः–
श्री हवासिंह पूनियाँ अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री आनन्द उपाध्याय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3
श्री सन्तलाल तिवाड़ी रेस्पो0 सं0 4
श्री राजेश कौशिक राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 30

निर्णय दिनांक 24.11.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 व 53 के अनतर्गत एक वाद पेश किया। वाद पत्र में कथन किया कि रोही मौज ननाउ तहसील नोहर बीघा कुल 115.04 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिविादीगण की मुस्तरका खातेदारी भूमि है। जिसमें वादीगण नं. 1 ता 3 के 280 हिस्सा बनते हैं लीकिन पटवारी हल्का ने सहवन से 150 हिस्से दर्ज कर दिये हैं। इस प्रकार प्रतिवादी नं0 1 के 100 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 2 के 40 हिस्से दर्ज है, प्रतिवादी नं0 3 व 4 के 160 प्रतिवादी नं0 5 व 6 के 1536 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के 188 हिस्सा दर्ज है। वादीगण ने जरिये बैयनामा दिनांक 03.07.1980 को रोशन पुत्र गनी खां से 14 बीघा भूमि खरीद की थी एवं विक्रेता ने 14 बीघा भूमि का कब्जा मौके पर दे दिया था। 14 बीघा भूमि के 280 हिस्से बनते हैं, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा अंकन करते समय सहवन से 180 हिस्सा के स्थान पर 150 हिस्से दर्ज कर दिये। इसलिए वादीगण अपनी खरीदशुदा भूमि का 180 हिस्सा दर्ज करवाने के अधिकारी हैं एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपनी मुस्तर्का भूमि का पूर्व में अपनी सुविधा अनुसार मुताबिक किस्म के आपसी घरू बंटवारा कर लिया है। मुताबिक बंटवारा की काश्त करते हैं। वादी ने वाद वादी डिक्री किया जाने का अनुतोष मांगा।

2. प्रतिवादी नं. 1, 2, 5, 6 ने अपना इकबालदावा पेश किया एवं प्रतिवादी नं0 7 व 8 ने जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया और रोही मौजा ननाउ के ख0 नं0 379 की 8 बीघा व ख. नं. 381 के दक्षिण की और 1 बीघ 6 बिस्वा कुल 9.08 बीघा भूमि का एक ही खेत है उसका खाता व लगान अलग [illegible] का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7व 8 [illegible] काउण्टर क्लेम डिक्री किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:57 IST
Reason: SelfAttested

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि दावा में प्रतिवादी सं0 5 व 6 ने विवादित भूमि में अपने 1536 हिस्सा को सुरक्षित रखने एवं खाता तकसीम करने बाबत सहमति दी थी लेकिन निर्णय दिनांक 23.06.2008 में ना तो प्रतिवादी नं0 5 व 6 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

1536 हिस्से सुरक्षित है एवं ना ही खाता तकसीम हुआ है बल्कि खाता में हिस्सा कसी एवं रकबा का जबरदस्त अन्तर आ गया है। मातहत अदालत ने विधि विरूद्ध निर्णय से वादीगण को 280 हिस्सा को खतोदार काश्तकार घोषित कर दिया एवं निर्णय में कहीं भी दर्ज नहीं किया कि किस प्रतिवादी का हिस्सा कम होगा। निर्णय से सारा खाता अस्पष्ट हो गया है। दावा में विवाद प्रतिवादी नं0 3 व 4 का है मगर उनको तलब ही नहीं किया गया है। वादीगण का कितना हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज है स्पष्ट नहीं हो रहा है एवं जो 150 हिस्सा दर्ज हे वो प्रतिवादी नं0 3 सफी मोहम्मद के नाम दर्ज है जो गलत दर्ज है उसका उतना हिस्सा नहीं बनता है एवं निर्णय में भी उसका हिस्सा स्पष्ट नहीं है।

5. वास्तविक तथ्य यह है कि रोही मोजा ननाउ की कुल 115.04 बीघा भूमि यानि 2304 हिस्सा के गनी, सुभान, नजीरदीन पिसरा मामदीन खातेदार काश्तकार थे जिसमें प्रत्येक को 768 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई। आज के रिकार्ड के मुताबिक 768 हिस्सा अपीलाण्ट के नाम दर्ज है एवं 768 हिस्सा सुभान के वारिसान के नाम दर्ज है। गनीखां ने अपने 768 हिस्सा में से 188 हिस्सा प्रतिवादी नं. 7 व 8 को बैय कर दी उसके बाद गनीखां क पास 580 हिस्सा भूमि शेष बची गनी खां फौत हो गया उसके बाद रोशन खां, सफीमोहम्मद, नेक मोहम्मद पिसराप गनीखां ब.हि.ब. 580 हिस्सा भूमि दर्ज हो गई। रोशन खां पुत्र गनीखां को 193--1--3 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई इसी अंकन के आधार पर रोशन खां ने 14 बीघा भूमि का विधि विरूद्ध बैयनामा वादीगण रेस्पो0 सं0 1 ता 3 को करवाया है जो हक से ज्यादा भूमि का होने के कारण कोई महत्व नहीं है। रोशन खां के द्वारा करवाये गये बैयनामा के आधार पर इन्तकाल नं. 658 दर्ज हुआ जिसमें वादीगण के नाम 580 हिस्सा में 1/3 हिस्सा दर्ज किया है एवं इन्तकाल के खाना नं. 16 में पटवारी हल्का ने दर्ज किया है कि श्रीमान्जी रोशन खां ने अपने हिस्से की कुल भूमि में से 14 बीघा का बैयनामा कराया मगर रोशन खां के नाम कुल 9 बीघा 13–1/3 बिस्वा भूमि दर्ज कागजात है जिसका नामान्तरण दर्ज कर पेश है जो स्वीकृत हो गया। सफी मोहम्मद पुत्र गनीखां ने अपने 193/1/3 हिस्सा में से 140 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 व 2 को बेय कर अब प्रतिवादी नं0 3 सफी मोहम्मद 53--1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 3 क नाम 150 हिस्सा दर्ज है एवं प्रतिवादी सं0 4 नेक मोहम्मद 193–1/3 हिस्सा का खातेदार है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 4 के नाम 290 हिस्सा दर्ज है इससे यही स्पष्ट होता है कि मातहत अदालत ने पत्रावली का अवलोकन नहीं किया है। विवादित भूमि के 2304 हिस्सा है जबकि निर्णय में वादीगण की घोषणा के बाद सभी काश्तकारों के हिस्सा का योगदान [illegible] हिस्सा ज्यादा दर्ज हो गये एवं हिस्सा किसी भी काश्तकार का कम नहीं किया [illegible] दावा में हिस्सा कसी बाबत किसी प्रकार की घोषणा चाही है इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने दावा को डिक्री कर दिया है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी जानकारी होते ही अपील पेश कर दी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 16:34:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपीलाण्ट को दावा का भली भांति से ज्ञान था और अधीनस्थ न्यायालय में दावा अपीलाण्ट की सहमति से डिक्री हुआ था। अपीलाण्ट को दावा की अच्छी तरह से जानकारी थी। रेस्पो0 सं0 1 ता 4 के नाम उनकी खरीदशुदा भूमि दर्ज हुई जिसका ज्ञान अपीलाण्ट को सदामत से ही था। रेस्पोडेण्ट के पक्ष में कराये गये बैयनामा में अपीलाण्ट ने गवाहान के तौर पर अपना अंगूठा लगाया है अपलांण्ट ने दावा में अपनी सहमति से डिक्री करवाया था इसके बाद भी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा नजीरदीन बनाम बृजलाल आदि पेश किया था जो खारिज हो चुका है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की एक अपील नेक मोहम्मद बनाम मुश्ताक आदि न्यायालय में चली थी जिसमें अपीलाण्ट पक्षकार था जो दिनांक 06.08.2019 को खारिज फरमा दी गई है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का ज्ञान सदामत से अच्छी तरह से था निर्णय के 12 साल बाद अपील गलत बयानी के आधार पर पेश की है जो खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में सीपीसी धारा 11 पेज 94, सीपीसी धारा 96 (3) पेज 379, आरआरडी 1996 पेज 189, आरआरडी 2012 पेज 742, आरआरडी 2013 पेज 788, आरआरडी 2013 पेज 189, आरआरडी 2011 पेज 228, आरआरडी 1994 पेज 329, आरआरडी 2001 पेज 258, आरआरडी 1993 पेज 505, आरआरटी 2015 पेज 232 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट ने अपनी खरीदशुदा भूमि का फैसला न्यायालय से अपीलाण्ट की सहमति से कराया था अपनी खरीदशुदा भूमि का पर रेस्पोडेण्ट काबिज है पूर्व में भी अधीनस्थ न्यायालय की अपील नेक मोहम्मद बनाम मुस्ताक दिनांक 06.08.2019 को खारिज हो चुकी है जिसमें अपीलाण्ट नजीरदीन पक्षकार था अपीलाण्ट अपनी सहमति से कराये गये निर्णय के विरूद्ध 12 वर्ष बाद अपील पेश की है जो काबिल खारिज है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

9. अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणागवुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

10. रेस्पो0 सं0 4 द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित दस्तावेज होने के [illegible] निस्तारण में सहायक दस्तावेज होन के कारण प्रार्थना--पत्र स्वीकार किया जाता [illegible] दस्तावेजात को अभिलेखपर लिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 16:34:57 IST
Reason: SelfAttested

11. जहां तक गुणागुवण पर का प्रश्न है [illegible] की कुल 115.04 बीघा भूमि यानि 2304 हिस्सा के गनी, सुभान, नजीरदीन पिसरा मा[illegible] खातेदार काश्तकार थे जिसमें प्रत्येक को 768 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई। आज के रिकार्ड के मुताबिक 768 हिस्सा अपीलाण्ट के नाम दर्ज है एवं 768 हिस्सा सुभान के वारिसान के नाम दर्ज है। गनीखां ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपने 768 हिस्सा में से 188 हिस्सा प्रतिवादी नं. 7 व 8 को बैय कर दी उसके बाद गनीखां क पास 580 हिस्सा भूमि शेष बची गनी खां फौत हो गया उसके बाद रोशन खां, सफीमोहम्मद, नेक मोहम्मद पिसरा गनीखां ब.हि.ब. 580 हिस्सा भूमि दर्ज हो गई। रोशन खां पुत्र गनीखां को 193–1–3 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई इसी अंकन के आधार पर रोशन खां ने 14 बीघाभूमि का विधि विरुद्ध बैयनामा वादीगण रेस्पो0 सं0 1 ता 3 को करवाया है जो हक से ज्यादा भूमि का होने के कारण कोई महत्व नहीं है। रोशन खां के द्वारा करवाये गये बैयनामा के आधार पर इन्तकाल नं. 658 दर्ज हुआ जिसमें वादीगण के नाम 580 हिस्सा में 1/3 हिस्सा दर्ज किया है एवं इन्तकाल के खाना नं. 16 में पटवारी हल्का ने दर्ज किया है कि श्रीमान्जी रोशन खां ने अपने हिस्से की कुल भूमि में से 14 बीघा का बैयनामा कराया मगर रोशन खां के नाम कुल 9 बीघा 13–1/3 बिस्वा भूमि दर्ज कागजात है जिसका नामान्तरण स्वीकृत हो गया। विवादित भूमि के 2304 हिस्सा है जबकि निर्णय में वादीगण को घोषणा के बाद सभी काश्तकारों के हिस्सा का योगदान 2584 आता है यानि 280 हिस्सा ज्यादा दर्ज हो गये एवं हिस्सा किसी भी काश्तकार का कम नहीं किया ना ही दावा में हिस्साकसी बाबत किसी प्रकार की घोषणा चाही है इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने दावा को डिक्री कर दिया है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2008 निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/XI/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:57 IST
Reason: SelfAttested